National Biodiversity Authority

Know the Biological Diversity Act (2002)

and

the Rules (2004) better!

English

Hindi

National Biodiversity Authority

Know the Biological Diversity Act (2002) and the Rules (2004) better!

What is covered by the Biological Diversity Act?

The Act covers conservation, use of biological resources and associated knowledge occurring in India for commercial or research purposes or for the purposes of bio-survey and bio-utilisation. It provides a framework for access to biological resources and sharing the benefits arising out of such access and use. The Act also includes in its ambit the transfer of research results and application for intellectual property rights (IPRs) relating to Indian biological resources.

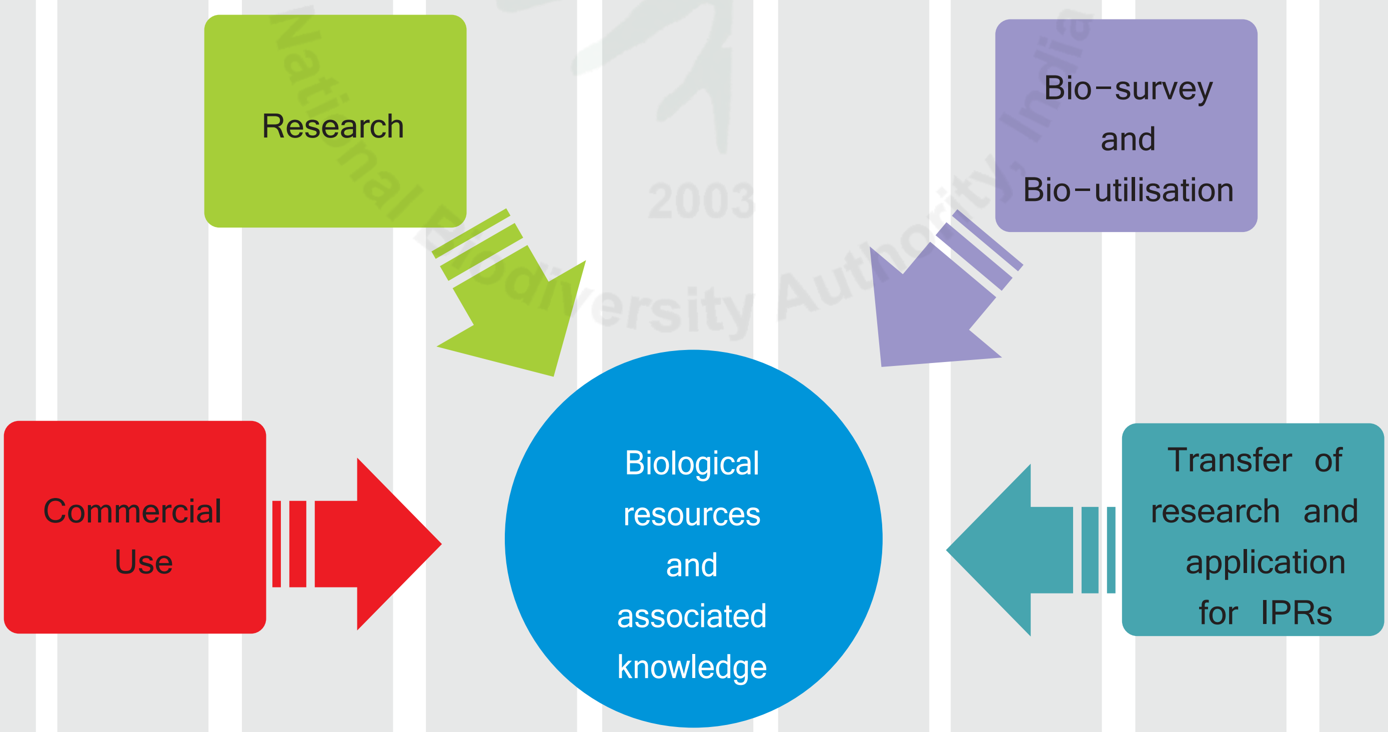

National Biodiversity Authority

Who is covered by the Biological Diversity Act and what do they require?

The Act covers foreigners, non-resident Indians, body corporate, association or organization that is either not incorporated in India or incorporated i n India with non-Indian participation in its share capital or management. These individuals or entities require the approval of the National Biodiversity Authority when they access/ use biological resources and associated knowledge occurring in India for commercial or research purposes or for the purposes of bio-survey or bio-utilisation.

Indians and Indian institutions do not require the approval of the National Biodiversity Authority when they engage in the above mentioned activities. However they would need to inform the State Biodiversity Boards prior to undertaking any research with the intent of commercialisation. Any application for IPR based on biological resources should be approved by NBA.

Approval Process

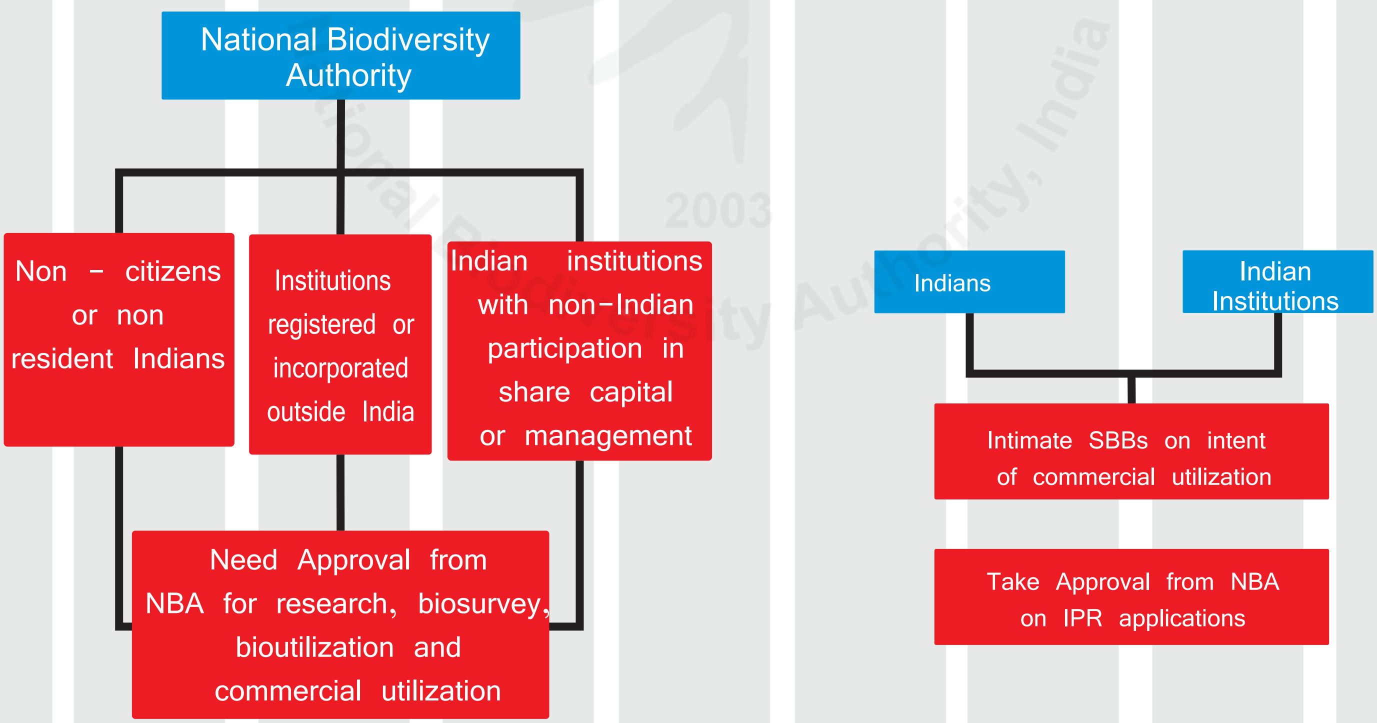

National Biodiversity Authority

Who and what is excluded by the Biological Diversity Act?

The Act excludes Indian biological resources that are normally traded as commodities. Such exemption holds only so far the biological resources are used as commodities and for no other purpose. The Act also excludes traditional uses of Indian biological resources and associated knowledge and when they are used in collaborative research projects between Indian and foreign institutions with the approval of the central government.

What is excluded under the Biological Diversity Act

- Normally traded commodities (so far material is used only as commodity)
- Uses by cultivators and breedes e.g. farmers, livestock keepers and bee keepers and traditional healers e.g.vaids and hakims
- Collaborative research between Indian and foreign institutions that conform to central government guidelines and has its approval, subject to following the notified guidelines by the Ministry of Environment and Forests, Government of India

National Biodiversity Authority

What is the National Biodiversity Authority required to do when it receives an application for approval to use Indian biological resources and associated knowledge?

The National Biodiversity Authority shall give approval, based on agreement with State Biodiversity Boards (SBBs), only after establishing mutually agreed terms and an fair and equitable benefit sharing agreement between the users of the biological resources and associated knowledge and concerned local bodies and benefit claimers.

What are the consequences of lack of compliance with the Biological Diversity Act?

In cases where an approval of the National Biodiversity Authority is required for the use of Indian biological resources and associated knowledge and such approval is not obtained, the punishment can extend to five years imprisonment or a fine of ten lakh rupees or both.

In cases where the State Biodiversity Board needs to be intimated about the use of Indian biological resources and associated knowledge and this is not done, the punishment can extend to three years imprisonment or a fine of five lakh rupees or both.

Any offence under the Act is cognizable and non-bailable.

Relevant definitions for the purposes of the Biological Diversity Act:

In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "benefit claimers" means the conservers of biological resources, their byproducts, creators and holders of knowledge and information relating to the use of such biological resources, innovations and practices associated with such use and application;

(b) "biological diversity" means the variability among living organisms from all sources and the ecological complexes of which they are part, and includes diversity within species or between species and of eco systems;

(c) "biological resources" means plants, animals and micro organisms or parts thereof, their genetic material and by products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

(d) "bio survey and bio utilization" means survey or collection of species, subspecies, genes, components and extracts of biological resource for any purpose and includes characterization, inventorisation and bioassay;

(e) "Chairperson" means the Chairperson of the National Biodiversity Authority or, as the case may be, of the State Biodiversity Board;

(f) "commercial utilization" means end uses of biological resources for commercial utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

(g) "fair and equitable benefit sharing" means sharing of benefits as determined by the National Biodiversity Authority under section 21;

(h) "local bodies" means Panchayats and Municipalities, by whatever name called, within the meaning of clause (1) of article 243B and clause (1) of article 243Q of the Constitution and in the absence of any Panchayats or Municipalities, institutions of self government constituted under any other provision of the Constitution or any Central Act or State Act;

(i) "member" means a member of the National Biodiversity Authority or a State Biodiversity Board and includes the Chairperson;

(j) "National Biodiversity Authority" means the National Biodiversity Authority established under section 8;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "regulations" means regulations made under this Act;

(m) "research" means study or systematic investigation of any biological resource or technological application, that uses biological systems, living organisms or derivatives thereof to make or modify products or processes for any use;

(n) "State Biodiversity Board" means the State Biodiversity Board established under section 22;

(o) "sustainable use" means the use of components of biological diversity in such manner and at such rate that does not lead to the long term decline of the biological diversity thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations;

(p) "value added products" means products which may contain portions or extracts of plants and animals in unrecognizable and physically inseparable form.

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

जैव विविधता अधिनियम (2002) और नियम (2004) के बारे में बेहतर जानकारी पाएं!

जैविक विविधता अधिनियम में क्या शामिल किया जाता है?

इस अधिनियम में भारत में जैविक संसाधनों के संरक्षण, उपयोग और इससे संबद्ध ज्ञान को वाणिज्यिक या अनुसंधान प्रयोजन के लिए अथवा जैविक सर्वेक्षण और जैव उपयोगिता के प्रयोजन को शामिल किया गया है। यह जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए और उक्त पहुंच और उपयोग से उत्पन्न लाभों को बांटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम के दायरे में अनुसंधान परिणामों के अंतरण और भारतीय जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों (आईपीआर) का अनुप्रयोग भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

जैविक विविधता अधिनियम में कौन शामिल है और उनकी क्या जरूरत है?

इस अधिनियम में विदेशी, अनिवासी भारतीय, निकाय निगम, संघ या संगठन शामिल हैं जो या तो भारत में निगमित नहीं किए गए हैं या भारत में शेयर पूंजी या प्रबंधन में अनिवासी प्रतिभागिता के साथ भारत में निगमित हैं। इन व्यक्तियों या इकाइयों को जैविक संसाधनों तथा भारत में मौजूद इसके संबद्ध ज्ञान तक पहुंच / उपयोग किसी वाणिज्यिक या अनुसंधान प्रयोजन हेतु करने या जैव सर्वेक्षण या जैव उपयोगिता के प्रयोजन हेतु करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

भारतीय नागरिकों और भारतीय संस्थानों को उपरोक्त उल्लिखित गतिविधियों ने संलग्न होने पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इन्हें वाणिज्यीकरण के आशय से किसी अनुसंधान को करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्डों को सूचित करने की आवश्यकता होगी। जैविक संसाधनों पर आधारित आईबीआर के लिए कोई भी आवेदन एनबीए द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

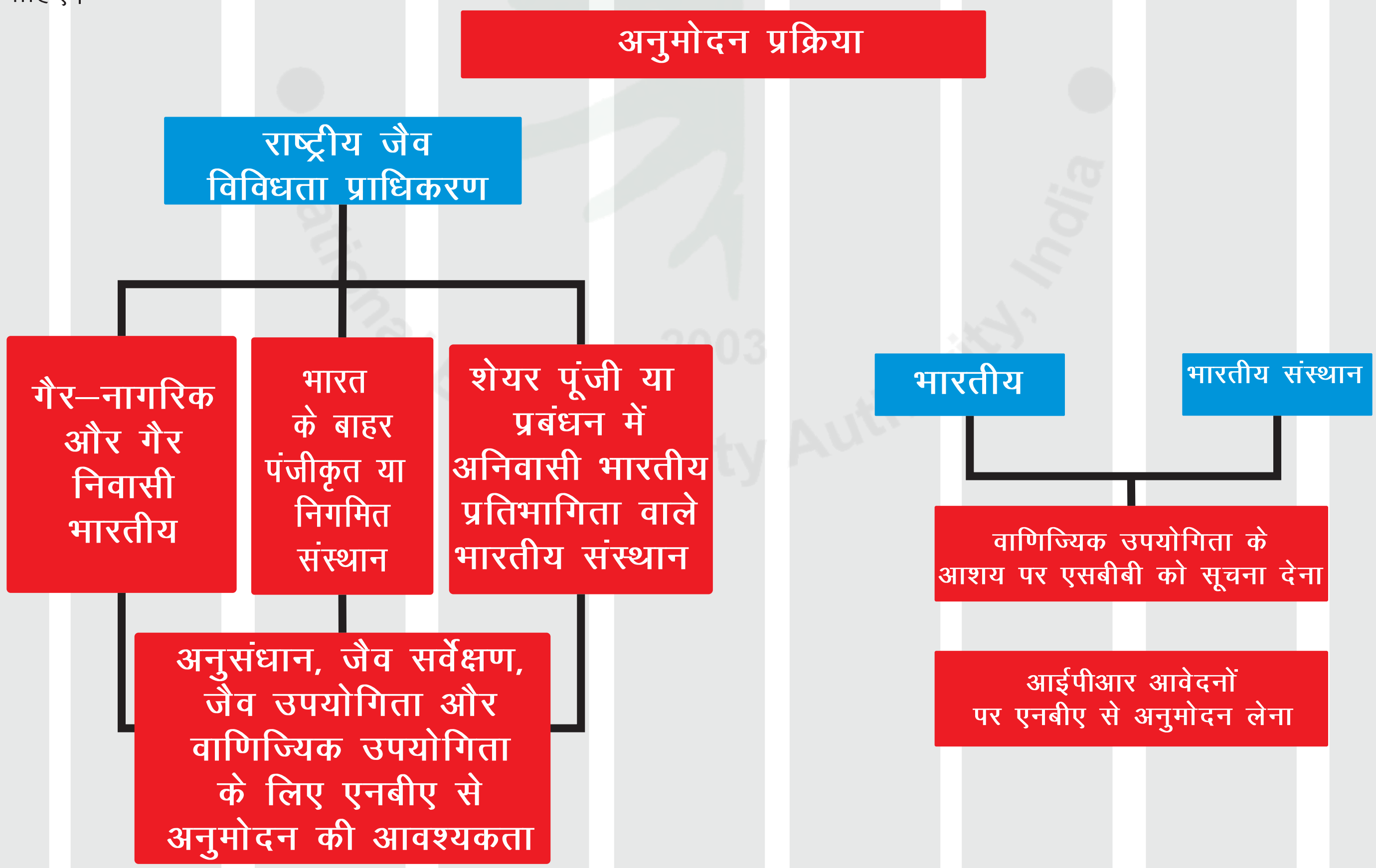

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

जैविक विविधता अधिनियम द्वारा किसे और क्या छूट दी गई है?

इस अधिनियम में उन भारतीय जैविक संसाधनों को निष्कासित किया गया है जिनका सामान्य तौर पर वस्तु के रूप में व्यापार नहीं किया जाता है। यह रियायत अब तक केवल वस्तुओं के रूप में प्रयुक्त जैविक संसाधनों के लिए है तथा यह किसी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं। इस अधिनियम में भारतीय जैविक संसाधनों तथा संबद्ध ज्ञान के पारंपरिक उपयोगों को, और जब इन्हें भारतीय तथा विदेशी संस्थानों के बीच केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है तब भी शामिल नहीं किया गया है।

जैविक विविधता अधिनियम के तहत किसे छूट दी गई है।

- सामान्य तौर पर व्यापार की जाने वाली वस्तुएं (अब तक सामग्री केवल वस्तु के रूप में उपयोग की जाती है)
- फसलों और किस्मों द्वारा उपयोग उदाहरण किसान, मवेशियों को पालने वाले और मधुमक्खी पालक तथा पारंपरिक चिकित्सक, उदाहरण के लिए वैद्य और हकीम
- उन भारतीय और विदेशी संस्थानों बीच सहयोगात्मक अनुसंधान जो केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और इसका अनुमोदन प्राप्त है, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

जब राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण भारतीय जैव विविधता संसाधन और इसके संबद्ध ज्ञान के उपयोग हेुत अनुमोदन के लिए एक आवेदन प्राप्त होता है तब इसे क्या करना होता है ?

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा केवल आपसी सहमति की शर्तों को तय करने तथा जैविक संसाधनों और इसके संबद्ध ज्ञान के प्रयोक्ताओं और संबंधित स्थानीय निकायों एवं लाभ का दावा करने वालों के बीच निष्पक्ष और समान लाभ बांटने के करार के बाद संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) के परामर्श से अनुमोदन दिया जाएगा।

जैव विविधता अधिनियम का अनुपालन करने की कमी के क्या परिणाम है?

जब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को भारतीय जैविक संसाधनों तथा इसके संबद्ध ज्ञान के उपयोग पर अनुमोदन देने की आवश्यकता होती है और यह अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो इसके लिए पांच वर्ष तक का कारावास या 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं।

राज्य जैव विविधता बोर्ड को भारतीय जैविक संसाधनों तथा इसके संबद्ध ज्ञान के उपयोग के बारे में बताने की आवश्यकता होती है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं।

अधिनियम के तहत कोई भी अपराध संज्ञान योग्य है और इस पर जमानत नहीं होती।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

जैविक विविधता अधिनियम के प्रयोजन हेतु संगत परिभाषाएं :

इस अधिनियम में जब तक संदर्भ अन्यथा न लिया जाए

(क) ''लाभ के दावाकर्ता'' का अर्थ है जैविक संसाधनों, उनके उप उत्पादों, उक्त जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित ज्ञान तथा सूचना के सृजक और धारक, नवाचार और उक्त उपयोग तथा आवेदन से संबंधित प्रथाएं।

(ख) ''जैव विविधता'' का अर्थ है सभी स्रोतों और पारिस्थितिक संकुलों से प्राप्त सभी जीवित जीवों के बीच विविधता, जिसका वे भाग हैं और इनमें प्रजाति के अंदर या प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के बीच विविधता शामिल है।

(ग) ''जैविक संसाधन'' का अर्थ है पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, उनकी आनुवंशिक सामग्री तथा उप उत्पाद (मूल्यवर्धित उत्पादों के अलावा) सहित वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य, परन्तु इसमें मानव आनुवंशिक सामग्री शामिल नहीं है।

(घ) ''जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोगिता'' का अर्थ है प्रजातियों, उप प्रजातियों, जीनों, घटकों तथा जैविक संसाधनों के निष्कर्ष का सर्वेक्षण या संग्रह किसी प्रयोजन के लिए करना और इसमें लाक्षणीकरण, सूचीकरण और जैव आमापन शामिल है।

(ङ) ''अध्यक्ष'' का अर्थ है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष या जैसा भी मामला हो, राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष

(च) ''वाणिज्यिक उपयोगिता'' का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोगिता के लिए जैविक संसाधनों के वास्तविक उपयोग, जैसे दवाएं, औद्योगिक एंजाइम, भोजन के फ्लेवर, खुशबू, सौंदर्य प्रसाधन, इमल्सी फायर, ओलियो रेसिन, रंग, निष्कर्ष और फसल तथा मवेशियों की नस्ल सुधार में आनुवंशिक हस्तक्षेप परन्तु इसमें पारंपरिक प्रजनन या पारंपरिक प्रथाएं शामिल नहीं है जिन्हें खेती, बागवानी, मुर्गीपालन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग किया जाता है।

(छ) ''निष्पक्ष और समान रूप से लाभ बांटना'' का अर्थ है अनुभाग 21 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लाभ बांटना

(ज) ''स्थानीय निकाय'' का अर्थ है पंचायतें और नगर पालिकाएं, इन्हें जो नाम दिया जाए और जो संविधान के खण्ड (1) की धारा 243बी और खण्ड (1) की धारा 243क्यू के अंदर आते हैं और किसी पंचायत या नगर पालिका की अनुपस्थिति में संविधान या किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत स्वयं गठित शासकीय संस्थान।

(झ) ''सदस्य'' का अर्थ है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं।

(ञ) ''राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण'' का अर्थ है धारा 8 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(ट) ''निर्दिष्ट'' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम द्वारा निर्दिष्ट

(ठ) ''विनियम'' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनिमय

(ड) ''अनुसंधान'' का अर्थ है किसी जैविक संसाधन या प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का अध्ययन या व्यवस्थित जांच, जिसमें जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या इनके व्युत्पन्नों का उपायोग करते हुए किसी उपयोग हेतु उत्पादों या प्रक्रमों का संशोधन किया जाता है

(ढ) ''राज्य जैव विविधता बोर्ड'' का अर्थ है धारा 22 के तहत स्थापित राज्य जैव विविधता बोर्ड

(ण) ''स्थायी उपयोग'' का अर्थ है का अर्थ है जैविक विविधता के घटकों का उपयोग इस प्रकार और इस दर पर करना कि इसमें दीर्घ अवधि तक जैविक विविधता में गिरावट न आए और इस प्रकार वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की जरूरतों तथा आकांक्षाओं को पूरा करने की संभाव्यता बनाए रखी जाए।

(त) ''मूल्य वर्धित उत्पाद'' का अर्थ है वे उत्पाद जिनमें न पहचानने योग्य और भौतिक रूप से अलग न करने योग्य पौधों और जंतुओं के भाग या निष्कर्ष शामिल हैं।